उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और लेखापरीक्षा अधिकारियों के अखिल भारतीय संघ के पदाधिकारियों के साथ 10.05.2016 को 3:00 बजे अपराहन को आयोजित की गई बैठक में की गई चर्चाओं के रिकार्ड नोट

1. उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं लेखापरीक्षा अधिकारियों के अखिल भारतीय संघ के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन 10.05.2016 के 3:00 बजे अपराहन, कक्ष संख्या 510 मे किया गया था। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध क में दर्शाई गई है।

2. आरंभ में, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने संघ के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और आशा की कि आगामी चर्चा लाभकारी एवं रचनात्मक होगी।

3. इसके पश्चात 7 एजेंडा मदों पर चर्चा शुरू की गई।

अनुबंध-क

प्रतिभागियों की सूची जिन्होंने 10.05.2016 को 3:00 बजे अपराहन को वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं लेखापरीक्षा अधिकारियों के अखिल भारतीय संघ के पदाधिकारियों के साथ उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित की गई बैठक में भाग लिया था।

श्री/श्रीमती

अजंता दयालन	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एस.आर धल	प्रधान निदेशक (परीक्षा)
खालिद बिन जमाल	प्रधान निदेशक (स्टाफ)
पुरूषोत्तम तिवारी	प्रधान निदेशक (पी)
रंजीत सिंह	सहायक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (एन)
अशोक राज शर्मा	संघ के उपाध्यक्ष
श्याम सुन्दर पाण्डेय	संघ के महासचिव
छज्जु राम	संघ के सहायक महासचिव
हरीश खुराना	संघ के सहायक महासचिव वित्त

अखिल भारतीय वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी तथा लेखापरीक्षा अधिकारी संघ का मांग प्रतिक्रिया विवरण

मांग संख्या 1: वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/लेखापरीक्षा अधिकारियों के संवर्ग हेतु संवीक्षा सहित पूर्व संशोधित वेतनमान में उचित वेतन तथा 1.1.2006 से अनुवर्ती उन्नयन।

स्पष्टीकरण:-

विभाग के अन्दर तथा भारत सरकार के अन्य विभागों में अधीनस्थ अधिकारियों के उन्नयन के संदर्भ में 1.1.1996 से 31.12.2005 तक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को क्रमश: ₹ 10,000 -15,200+400 विशेष वेतन तथा ₹ 12,000-16,500+500 विशेष वेतन की तत्काल मंजूरी।

आगे यह उल्लेख किया गया कि 6ठे सीपीसी से अधीनस्थ अधिकारियों को पूर्व-संशोधित वेतनमान में दोगुनी वृद्धि का लाभ मिला था परन्तु वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के पूर्व-संशोधित वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। संघ ने ₹ 7600 के ग्रेड पे के साथ पूर्व-संशोधित वेतनमान में न्यूनतम दोगुनी वृद्धि की मंजूरी का अनुरोध किया। इसी प्रकार, यह अनुरोध किया गया कि लेखापरीक्षा अधिकारियों को जॉब विषय के आधार पर ₹ 6600/- ग्रेड पे के साथ पे बेंड -3 में रखा जाना चाहिए।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 11.62.20 के अनुसार, एसएओ तथा आईएएंडएएस का प्रवेश स्तर दोनो पे बेंड -3, ग्रेड पे ₹ 5400 में है। इसमें एसएओ जोकि आईएएंडएएस हेतु फीडर संवर्ग है, के वेतमानों में वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिफारिशों को पढ़ने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों का संवर्ग आईएएंडएएस के लिए फीडर संवर्ग है तथा इसीलिए वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग के ग्रेड पे में वृद्धि नहीं की जा सकती है। संघ ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आईएएंडएएस के अन्दर 33% भर्ती वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग से है तथापि भर्ती न्यूनतम पांच प्रतिशत है। मुख्य विषय 53 वर्ष की आयु सीमा तथा लेखापरीक्षा अधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में संयुक्त सेवा के पांच वर्ष की है। ऐसे प्रतिबंध केवल आईएएंडएडी में है जिसमें 53 वर्ष की उम्र होने के पश्चात एक अधिकारी को आईएएंडएएस में प्रवेश करने से वंचित किया जाता है। संघ ने उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस मामले

पर नए सिरे से विचार करने तथा इस संवर्ग के वित्तीय उन्नयन हेतु नए तरीके से कार्य करने का अनुरोध किया। उन्होंने निम्नलिखित उपायों का परामर्श दिया:

- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /लेखापरीक्षा अधिकारी को वरिष्ठ काल-मान में ₹6600, ₹ 7600 और ₹ 8700 के ग्रेड पे के साथ उन्नयन दिया जा सकता है जो गैर आईएएंडएएस संवर्ग में उनकी सेवा की अवधि पर निर्भर करता है। उस मामले में यदि कुछ अधिकारियों को आईएएंडएएस में जाने का मौका मिलता है तो उन्हें पहले प्रत्यावर्तन मांगना चाहिए और फिर आईएएंडएएस संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। यह वरिष्ठ काल-मान में वरिष्ठ आशुलिपिक के मामले में हो सकता है, जिन्हें एसएएस पास करने पर वरिष्ठ काल-मान में एएओ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रत्यावर्तन प्राप्त करना होता है इससे इस संवर्ग के उन्नयन के लम्बित मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

यह सूचित किया गया था कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग को ज्ञापन प्रेषित करते समय विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अधिकारी और वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के लिए क्रमश: ₹ 6600/(पीबी-3) और ₹ 7600/(पीबी-3) के उच्च ग्रेड पे की सिफारिश की गई थी।

तथापि, 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग ने लेखापरीक्षा अधिकारी /वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (पैरा 11.62.20) के लिए वेतनमान के प्रतिस्थापन की सिफारिश की है अर्थात नए पे मैट्रिक्स में 09 और 10 वेतन स्तर। अत: उच्च ग्रेड पर सहमति नहीं की गई है।

कार्यान्वयन सैल (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग) को आईएएंडएडी के ग्रुप बी और सी संवर्गों से संबंधित 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विभाग के दृष्टिकोण को प्रेषित करते समय लेखापरीक्षा अधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को उच्चतर ग्रेड पे देने की मांग को दोहराया गया है।

डीएआई ने भी संघ को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन सैल को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की सलाह दी है।

मांग संख्या 2: वरि. लेखापरीक्षा अधिकारियों को उपयुक्त अधिसूचना के साथ ग्रुप ए स्थिति की सभी सुविधाएँ प्रदान करना तथा लेखापरीक्षा अधिकारियों को पीबी-3 में स्थापित करते हुए ग्रुप ए स्थिति प्रदान करना।

स्पष्टीकरणः

सीएजी की सहमति से, भारत सरकार ने दिनांक 09.04.2009 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा पीबी-3 में जीपी 5400 वाले केन्द्रीय सिविल पदों को ग्रुप 'ए' के रूप में वर्गीकृत किया है। दिनांक 17.04.2009 के डीओपीटी ओएम सं. 11012/7/2008-स्था. (ए) डीओपीटी के पैरा 4 के अनुसार उक्त ओएम जारी होने से तीन महीने के अन्दर सीएजी द्वारा डीओपीटी को एसएओ के पद को ग्रुप 'ए' के रूप में वर्गीकरण हेतु औचित्य के साथ प्रस्ताव भेजा जाना था। सीएजी ने इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की।

दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने 17.09.2013 को अपना निर्णय सुनाया तथा निर्णय दिया कि एसएओ ग्रुप 'ए' अधिकारी हैं जैसा कि अनुप्रयोज्य नियमावली के अन्तर्गत अधिदेशित है। संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

चूँकि माननीय न्यायालय के निर्णय में समय लग सकता है, अतः संघ इस मामले को संघ की मांग सं. 1 के साथ जारी रखने की मांग करता है।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रियाः

यह सूचित किया जाता है कि मामला निर्णयाधीन है। संघ को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई थी। वर्तमान में यह मांग बन्द मानी गई है।

मांग संख्या 3: वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी की आगे पदोन्नति के लिए आयुसीमा हटाना।

स्पष्टीकरणः

आयु पर आधारित अयोग्यता का कोई तर्क नही है क्योंकि एक व्यक्ति की योग्यता सेवा की बढती अवधि के साथ बढती है। मिथ्या पात्रता मापदंड हटाने चाहिए तथा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी की पदोन्नति उनकी आयु पर विचार किए बिना योग्यता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रदान की जा सकती है।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रियाः

संघ को सूचित किया गया कि आयु सीमा हटाने की इसकी मांग स्वीकार नहीं की जा सकती जैसा कि 18.11.2014 को डीएआई के साथ कार्यसूची बैठक में स्पष्ट किया गया था। आईए एंड एएस संवर्ग में प्रवेश करने के लिए आयु सीमा 53 से 55 वर्ष बढाने के लिए प्रस्ताव के संबंध में, यह सूचित किया गया था कि प्रस्ताव पहले ही वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है तथा मामला आगे की कार्रवाई के लिए आईएएंडएएस के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के लिए यूपीएससी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

मांग संख्या 4:   अन्य लेखा संगठनों से लेखापरीक्षा की डीलिंकिंग

स्पष्टीकरण:

लेखा संगठन विभाग के कार्यकारी प्रमुख के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करते हैं जबकि लेखापरीक्षा सीएजी के अंतर्गत है। इसलिये, संवैधानिक प्राधिकरण को अन्य लेखा संगठनों के समान मानना भारत के सीएजी की प्रतिष्ठा का अपमान करना है।

संघ भारत के सीएजी से मामले को भारत सरकार के उचित फोरम में ले जाने का अनुरोध करेगा।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया

यह स्पष्ट किया गया था कि दोनों लेखापरीक्षा और लेखा कार्य भारत के संविधान द्वारा निर्धारित भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के अधिदेश के अनुसार किये जा रहे हैं। इसलिये, इस आधार पर सीएजी की दो भूमिकाओं के बीच अंतर करना उचित नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त यह सूचित किया गया था कि भारत के संविधान के अंतर्गत, भारत के सीएजी का पद स्पष्ट रूप से बताया गया है। तथापि, अन्य संगठनों का सरकार के कार्य में अपना स्वयं का महत्व और अधिदेश है।

मामले को समाप्त समझा जाये।

मांग संख्या 5: आईएएंडएएस में कोटा के प्रतिशत को 33% से 50% तक बढ़ाना।

स्पष्टीकरण:

अखिल भारतीय संघ ने अनुरोध किया कि उन्हें आईएएंडएएस में कोटा के प्रतिशत को 33% से 50% तक बढ़ाने की उनकी माँग के संबंध में नवीनतम विकास से अवगत कराया जाए।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

यह सूचित किया गया था कि आईएएंडएएस में पदोन्नति कोटे का प्रतिशत 33% से 50% तक बढ़ाने के मामले पर विचार किया गया है और इसे आईएएंडएएस के भर्ती नियमों के लिए संशोधन के प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है।

प्रस्ताव यूपीएससी के पास *लंबित है।*

मांग संख्या 6: एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु तीन पदोन्नति सीमा को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

स्पष्टीकरण:

एमएसीपी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु तीन पदोन्नति सीमा को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

एसओ/एएओ का पद केवल एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही दिया जाता है इसलिए इस पद को एंट्री ग्रेड पद के रूप में माना जाए। एमएसीपी हेतु, तीन पदोन्नतियों की गणना पहली पदोन्नति एओ संवर्ग में दूसरी एस.ए.ओ. और इसी तरह की जाए।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

विभाग ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग से एमएसीपी के तहत चार वित्तीय उन्नयनों की सिफारिश किया था। 7वें के.वे.आ. द्वारा मांग पर सकारात्मक रूख नहीं अपनाया गया है।

यह सूचित किया गया कि एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के उद्देश्य के लिए विभागीय एसएएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एंट्री ग्रेड के रूप में एएओ के पद पर नियुक्ति मानने संबंधी मामले की जांच की जा रही है।

मांग संख्या 7: राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा में नकारात्मक अंकन हटाना तथा सीपीडी के विभिन्न चरणों के बीच समयान्तराल समाप्त करना।

स्पष्टीकरण:

संघ ने राजस्व लेखापरीक्षा परीक्षा में नकारात्मक अंकन हटाने तथा सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के विभिन्न चरणों के बीच समयान्तराल समाप्त करने की मांग पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया, यदि एक अधिकारी एक सीपीडी से अधिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की क्षमता रखता है तो उसके ज्ञान का लाभ अंततोगत्वा संगठन को ही होगा।

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

यह कहा गया कि महानिदेशक (आरसी) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।